



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032024-252611
CG-DL-E-05032024-252611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1016]
No. 1016]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2024/फाल्गुन 15, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2024/PHALGUNA 15, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.आ. 1065(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 9) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 6 मार्च, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 20, धारा 35 और धारा 40 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 05/4/2023-कॉम्प-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1065(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Competition (Amendment) Act, 2023 (9 of 2023), the Central Government hereby appoints the 6th day of March, 2024 as the date on which the provisions of sections 20, 35 and 40 of the said Act shall come into force.

[F. No. 05/4/2023-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.